

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 23, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. 28131.-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१५

## मध्यप्रदेश वेट ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, २०१५

## विषय-सूची

## खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ९-क क का अंतःस्थापन.
४. धारा १७ का संशोधन.
५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१५

### मध्यप्रदेश वेत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (ण) में, शब्द और अंक “धारा ९” के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर “या ९-क क” अंतःस्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (भ) में, उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(चार) धारा ९-क क के अधीन अतिरिक्त कर के रूप में संगृहीत की गई रकम;”

३. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ९-क क का अंतःस्थापन.

“९-क क. (१) धारा ९ एवं ९-क में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, घोषित माल से भिन्न, अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के विक्रय पर, वजन, मात्रा, मापन या इकाई के आधार पर, ऐसी दर से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अतिरिक्त कर उद्गृहीत किया जाएगा.

अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के संबंध में, धारा 14 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”

४. मूल अधिनियम की धारा १७ में उपधारा (३) में, शब्द, “ऐसे आवेदन के साथ, आवेदन में दी गई विशिष्टियों के समर्थन में एक शपथ-पत्र होगा और उसके साथ रजिस्ट्रीकरण फीस, जैसी कि विहित की जाए, के विहित रीति में भुगतान का समाधानप्रद सबूत दिया जाएगा.” का लोप किया जाए.

धारा १७ का संशोधन.

५. (१) मध्यप्रदेश वेत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ६ सन् २०१५) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अतिरिक्त कर उद्गृहीत करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में धारा ९-क क का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ६ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर, खण्ड ४ में अंतर्विष्ट उपान्तरण के साथ, राज्य विधान-मण्डल का एक अधिनियम लाया जाए ताकि अधिनियम के अधीन शपथ-पत्र की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। खण्ड २ (दो) में अंतर्विष्ट संशोधन, अतिरिक्त कर पर वेट के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :  
तारीख १० दिसम्बर, २०१५

जयंत मलैया  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१५ के खण्ड ३ द्वारा अनुसूची-२ में दिए मालों के विक्रय पर वजन, मात्रा, मापन या इकाई के आधार पर कर की दर का निर्धारण किए जाने एवं तदाशय की अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप का होगा।

## अध्यादेश के संबंध में विवरण

राज्य के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अतिरिक्त कर उद्गृहीत करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था।

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (क्रमांक ०६ सन् २०१५) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक खण्ड ४ में अंतर्विष्ट उपान्तरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.